



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12112024-258590
CG-DL-E-12112024-258590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4499]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2024/कार्तिक 21, 1946

No. 4499]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2024/KARTIKA 21, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4880(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, एतद्वारा वी-बेल्ड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. (1) इस आदेश को वी-बेल्ड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. वी-बेल्ड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के पैराग्राफ 2 में, तीसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी प्रासंगिक सामानों या वस्तुओं के लिए इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से पहले ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या विनिर्माता जिसने प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन किया है अथवा आयातक द्वारा घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा तथा ऐसे विनिर्माता या आयातक को ऐसे घोषित स्टॉक को वी-बेल्ड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 की अधिसूचना की तारीख से छह महीने तक बेचने या प्रदर्शित करने या बेचने का प्रस्ताव करने की अनुमति होगी, जो इस शर्त के अधीन है कि ऐसे आयातक या विनिर्माता ने ब्यूरो के समक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित इस आशय की घोषणा की हो।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी वी-बेल्ट के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के प्रयोजन से प्रति वर्ष आयातित दो सौ सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगी जो इस शर्त के अध्याधीन है कि ऐसे आयातित सामानों और वस्तुओं की वाणिज्यिक बिक्री नहीं की जाएगी और उन्हें स्कैप के रूप में निपटाया जा सकता है तथा विनिर्माता ऐसे सामानों या वस्तुओं का वित्त वर्षवार रिकार्ड रखेंगे और अपने लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रति संबंधित सरकारी अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।”

[फा. सं. पी-39012/8/2023-एल एण्ड आर]

संजीव, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का .आ. 1252 (अ) दिनांक 6 मार्च, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion of Industry And Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 24th October, 2024

S.O. 4880(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the V-Belt (Quality Control) Order, 2024, namely: -

1. (1) This Order may be called the V-Belt (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the V-Belt (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 2, after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely: -

“Provided also that nothing in this Order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of commencement of this Order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification or by the importer for the relevant goods and articles and such manufacturer or importer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to six months from the date of commencement of the V-Belt (Quality Control) Amendment Order, 2024 subject to the condition that such manufacturer or importer shall make a declaration to this effect certified by a Chartered Accountant to the Bureau:

Provided also that nothing in this Order shall apply for two hundred numbers of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of V-Belt per year subject to the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and can be disposed of as a scrap and also the manufacturer shall maintain financial year-wise record of such goods or articles and furnish to the Government authorities concerned in its letter head signed by its authorised signatory”.

[F. No. P-39012/8/2023-L AND R]

SANJIV, Jt. Secy.

Note. -The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 1252(E), dated the 6th March, 2024.